न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 20/2001

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
नारायणसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राजपूत सा0 कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर आम मुख्तियार 1. ईशवरसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राव सा0 भीनमाल 2. वचनाराम पुत्र करताजी कौम घांची सा0 भीनमाल		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत खातेदारी हकों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काष्त0 अधि01955

उपस्थिति :–

1. वादीगण के अधिवक्ता श्री बस्तीमल खत्री।
2. प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक 04.03.2021

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने अपने वाद पत्र में मौजा चाण्डपुरा के ख0सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट. व खं. सं. 455 रकबा 3.33 हेक्ट. कुल 11.65 हेक्ट. पर वक्त जागीरी व अपने बडेरों से कब्जा काश्त चला आने तथा उसमें बेरा बना हुआ है तथा उसमें वादी के बडेरों से काश्त की जाती रही है। उक्त आराजी में नारणा भील से काश्त भी करवाई जा रही है तथा ख0सं0 458 में हाली नारणा भील का रहवास है तथा वादी भी उसमें निवास करते है। इस प्रकार वादी का प्रतिकुल कब्जा लम्बे समय से चलता आ रहा है। अतः वादी को प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा फरमाई जावे। वाद पत्र के संदर्भ में दस्तावेज भी वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये है।
2. उक्त वाद का इस न्यायालय से दिनांक 30.03.2002 को वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में एवं पूर्व प्रस्तुत वाद नोट प्रेस में खारीज किया गया।
3. उक्त वाद के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील सं0 42/2002 नारायणसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा के वादी प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 5.6.2003 को पारित किया गया। उक्त निर्णय में वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने के रूप में कहीं भी नाम अंकित होना परिलक्षित नहीं होने से अपील खारीज की गयी।
4. वादी उक्त निर्णय दिनांक 5.6.2003 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपीडी/टीए/7500/2007/जालोर नारायणसिंह बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 13.1.12 को पारित किया। जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 5.6.2003 व इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.3.2002 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि बनाई गयी तनकीयात के साथ रेसज्युडिकेटा के बिन्दु पर आवश्यक तनकी और कायम कर दोनों पक्षों से [illegible] लेकर आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार विवेचन करते हुए [illegible] कार्यवाही पुनः निर्णय पारित करें।
5. उक्त निर्णय की पालना में इस न्यायालय में प्रकरण पुनः [illegible] रजिस्टर किया जाकर तनकी सं0 3 के संबंध में रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से वाद दिनांक 17.4.2012 को खारीज [illegible] गया।
6. वादी उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील सं. [illegible]/निर्णय/16/2012 नारायणसिंह के आम मुख्तयार श्री ईश्वरसिंह व वचनाराम ने वगैरा बनाम राजस्थान सरकार अपील दर्ज हुई। उक्त अपील का दिनांक 27.6.2012 को निर्णय पारित किया कि नवनिर्मित तनकी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

3 विस्तृत विवेचन के साथ कोई निर्णय पारित नहीं कर केवल पूर्व भांति ही रेस्ज्युडिकेटा के सिद्धान्त पर वादी का वाद खारीज कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों पूर्णतया पालना नहीं की गई है जो किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.4.2012 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पूर्ण पालना करते हुए तनकी संख्या तीन को अपने निर्णय में सम्मिलित करते हुए विस्तृत कानूनी बिन्दुओं के विवेचन के साथ निर्णय करें।

7. उक्त निर्णय की पालना में पुनः राजस्व वाद सं0 20/2001 दिनांक 1.8.12 को दर्ज रजिस्टर कर उक्त निर्णय तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पूर्ण करने हेतु दोनों पक्षों कों सुनवाई हेतु निर्णय में इस न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश होने से नारायणसिंह के आम मुख्तार श्री ईश्वरसिंह व श्री वचनाराम वादी के उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार उपस्थित हुए। वादी पक्ष द्वारा इस प्रकरण में सुनवाई कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

8. उक्त निर्णय की पालना में सर्वप्रथम पूर्व में नवीन तनकी सं0 3 दिनांक 10.4.12 को कायम की गई कि '' आया वादी का वाद रेसज्युडिकेटा के तहत चलने योग्य नहीं है'' जिम्मे प्रतिवादी, का निर्णय किया जाना न्याय संगत है। जिस पर इस तनकी के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रतिवादी राज सरकार द्वारा वाद में अपना हित प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी ने अपने हित साक्ष्य दस्तावेज दिनांक 16.4.12 को प्रस्तुत किये है। इससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाना हस्तगत प्रकरण से सिद्ध होता है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 21.2.12 में आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तनकीवाईज विवेचन करते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत पाया गया। इसी परिपेक्ष्य में वादी को भी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिनके द्वारा मूल वाद में संशोधित वाद प्रस्तुत किया एवं साथ ही इस प्रकरण के संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 (प्रकरण सं0 31/12 नारायणसिंह बनाम राजस्थान सरकार में प्रस्तुत किये गये) का निर्णय दिनांक 24.9.12 को पूर्ण रूपेण दोनों पक्षों को सुनवाई कर निर्णय पारित किया। हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना है तथा इस प्रकरण के साक्ष्य सबूत उक्त प्रकरण से संबंधित है। ऐसी स्थिति में निर्णित प्रकरण संख्या 31/12 धारा 212 को मूल वाद के साथ नत्थी किया जाता है।

आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. का अध्ययन किया गया। जिसमें '' न्यायालय हर एक विवाद्यक अपने विनिश्चय का कथन करेगा उन वादों में, जिनमें में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिष्चयन उस निमित कारणों के सहित देगा''' इस प्रकार पूर्व वाद सं0 89/12 एवं 8/93 में दिनांक 28.1. 1993 को वादी वकील ने नोट प्रेस में खारीज करने का निर्णय पारित किया है, जबकि विवाद्यक दिनांक 3.51993 को आदेशिका में निर्धारित किये जा चुके है। जिनका कोई तनकीवार निर्णय नहीं होने से उक्त प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर तनकीवार निर्णय हस्तगत प्रकरण में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा पृथक वाद लाने से राजस्व वाद आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के परिपेक्ष्य में चलने योग्य पाया जाता है अर्थात रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अतः तनकी संख्या 3 को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

9. वादी पक्ष द्वारा दिनांक 27.9.12 को आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र संशोधित करने हेतु प्रस्तुत किया तथा साथ में संशोधित वाद प्रस्तुत किया। जिसका जवाब दिनांक 8.11.12 को प्रतिवादी पक्ष ने प्रस्तुत किया व दिनांक 19.12.12 को संशोधित वाद के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया।

दिनांक 17.3.2016 को वादी पक्ष के द्वारा संशोधित वाद को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादी के प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार रानीवाडा ने दिनांक 5.4.16 को प्रस्तुत किया एवं सेशोधित वाद पत्र बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 30.3.2017 को विस्तृत निर्णय आदेशिका में पारित किया गया। जिसमें वादी का संशोधित वाद को रेकर्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया तथा उक्त स्थिति में वाद चलने योग्य है या नहीं? कानूनी बिन्दु पर सु[illegible] दिनांक 4.5.17 को पत्रावली रखी गयी। जिस पर वादी वकील ने वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद पर [illegible] कार्यवाही के तहत सुने जाने हेतु तनकीयात कायम की जाकर निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत है। अतः तनकीयात कायम हेतु पत्रावली दिनांक 7.6.17 रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

10. वाद में तनकीयात दिनांक 30.11.17 को तैयार की गयी। जिसमें वादी वकील द्वारा तनकी सं. 1 में रकबा 3.33 हेक्ट. को नहीं जोडने से सम्मिलित कर तनकी कायम की परन्तु प्रतिवादी उपस्थित नहीं

होने से अंतिम करने हेतु पत्रावली दिनांक 13.12.17 को रखी गयी। दिनांक 11.1.2018 को तनकीयात कायम की जाकर एक्प्लेन की गई।

11. वादी शहादत हेतु दिनांक 18.1.18 से सात बार व दि0 19.6.18 को रू0 100/– की कोस्ट पर तथा दिनांक 22.1.19 को वादी के अधिवक्ता की ओर से श्री भंवरसिंह अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के अधिवक्ता के घर पर शादी होने से अवसर चाहा। जिस पर दिनांक 31.1.19 नियत की गयी। उक्त दिनांक को वादी के अधिवक्ता ने वादी कुछ समय से सम्पर्क में नहीं आने से अवसर चाहने पर 28.2.19 को रखी गयी तत्पश्चात अंतिम अवसर दिनांक 19.9.19 को दिया गया। इस तारीख पर भी शहादत प्रस्तुत नहीं करने पर रूपये 200/– की कोस्ट पर अवसर देते हुए तारीख 10.10.19 नियत की गयी। उक्त तारीख को भी अवसर देने हेतु वादी वकील ने निवेदन किया परन्तु उपरोक्तानुसार बार बार शहादत हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद भी शहादत प्रस्तुत नहीं की। ऐसी स्थिति में अब आगे अवसर दिया जाना न्याय संगत नहीं होने से वादी की शहादत बन्द की गयी।
12. प्रतिवादी को शहादत पेश करने हेतु तारीख 31.10.19 रखी गयी किन्तु इस तारीख को शहादत पेश नहीं करने से एक अवसर देते हुए दिनांक 21.11.19 नियत की गयी। इस तारीख को भी प्रतिवादी द्वारा शहादत पेश नहीं करने से प्रतिवादी की शहादत बन्द की गयी।
13. उभय पक्षकारान की दिनांक 21.11.19 को बहस सुनी। बहस में दोनों पक्षों ने पत्रावली में प्रस्तुत वाद पत्र व जवाब दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजा के तथ्यों को दोहराया।
14. हमने उभय पक्षकारान के बहस तथ्यों पर मनन करते हुए पत्रावली का भली भांति अध्ययन किया। जिसके आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी सं0 1

वादी द्वारा मौजा चाण्डपुरा में ख0सं0 458 रकबा 2.24 हेक्ट0 व ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट0 कुल 5.57 हेक्ट. की आराजी बाप दादो के बडेरे से कब्जा काश्त में होने के संबंध में जमाबन्दी संवत 2048–2051 प्रस्तुत की। जिसमें ख0सं0 458 का रकबा 8.32 हेक्ट0 दर्ज था। जिसमें से देवनारायण आवासीय विद्यालय को भूमि 4.80 हेक्ट0 होने तथा पूर्व में भारता पुत्र सवा कौम भील सा0 कागमाला के नाम 1.28 हेक्ट0 ना0सं0 146 दिनांक 31.1.2002 से दर्ज होने से शेष अतिक्रमी भूमि 2.24 हेक्ट0 रही। अतिक्रमी उक्त आराजी पर कब्जे के समर्थन में इस न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.3.2002 को निर्णय पारित किया, जिसमें दस्तावेजों का अंकन है एवं उसकी फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र सं0 31/2012 अस्थाई निषेधाज्ञा में फोटो प्रतिया सम्मिलित है। जिसके खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 प्रदर्श–10, संवत 2016 से 2019 प्रदर्श–11, संवत 2020 से 2023 प्रदर्श–12 एवं संवत 2044–47 में वादी के नाम काश्त कब्जा अंकित नहीं है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2048 में वादी का कब्जा खसरा सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट0 पर तथा संवत 2049 में खसरा सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट0 पर कब्जा अतिक्रमी के रूप में रेकर्ड में दर्ज है। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वादी के विरूद्ध कार्यवाही कर वादी को बेदखल किया गया व जुर्माना अदा किया गया। जिसकी पुष्टि प्रतिवादी गवाह डब्ल्यु.पी.–1 नानगाराम ने अपने ब्यानों में की है तथा सेटलमेन्ट के पूर्व ख0सं0 458 व ख0सं0 455 का रकबा एक चक में था परन्तु उक्त खसरों के बीच में होकर मालवाडा से जसवन्तपुरा की सडक चलने से अलग अलग खसरें हुए। पूर्व में पुराना ख0सं0 187 रकबा 139 बीघा 6 विस्वा था। जिसकी गिरदावरी में वादी या वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं था। संवत 2012–2015 में वचनसिंह वगैरा मकबुजा जागीरदार का नाम दर्ज था।

गवाह पी.डब्ल्यू–4 वादी नारायणसिंह ने अपने ब्यानों में व्यक्त किया कि मौजा चाण्डपुरा में ख0सं0 458 व 455 कुल रकबा 11.65 हेक्ट0 पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा आराजी है। जिस पर बडेरों से काबिज रहकर काश्त करता आया हूं। सडक को छोडकर शेष भूमि पर कब्जा काश्त है। जिसमें रहवासी ढाणी बनी हुई है। जिसमें एक पक्का मकान है व पक्का बेरा बंधा हुआ है। उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा है। मै कम पढा लिखा होने तथा मेरे बडेरे अनपढ होने से वक्त सेटलमेन्ट हमारे नाम नहीं उतरवा सके न ही हमारे रेवेन्यु रेकर्ड में नाम दर्ज हुआ। न ही मेरे बडेरों को इसकी जानकारी हुई। मुझे सरकारी नोटिस आने से हमें जानकारी हुई। मेरे खेत का मौका कमिश्नर ने मौका देखा था। जो ईएक्स–1 है।नक्शा ट्रेस ईएक्स. 2, खसरा गिरदावरी संवत 2046 से 2049 ईएक्सपी–3 है। जमाबन्दी ईएक्सपी–4 है। खसरा परिवर्तनशील ईएक्स–5 है। नोटिस धारा 91 ईएक्सपी– 6 है, ग्राम [illegible] कागमाला का प्रमाण पत्र ईएक्सपी–7, सहायक कृषि अधिकारी का ईएक्सपी–8, नक्शा [illegible] गिरदावरी संवत 2012–15 ईएक्सपी–10,, गिरदावरी संवत 2016–2019 ईएक्सपी–11, गिरदावरी [illegible] 2020–23 ईएक्सपी 12, नक्शा ट्रेस ईएक्सपी–13, जमाबन्दी संवत 2048–2051 ईएक्सपी–14, [illegible] उप जिलाधीश भीनमाल से जारी ईएक्सपी 15, मिलान क्षैत्रफल ईएक्सपी 16 है। मैने पहले भी दावा प्रस्तुत किया था। मैं बीमार होने व चलने फिरने की स्थिति में नहीं होने से मेरे वकील ने नोट प्रेस में दावा खारीज करवाया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने व्यक्त किया कि उक्त वाद से संबंधित ख0सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट0 पर संवत 2048 में रेकर्ड में कब्जा दर्ज है तथा ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट0 में संवत 2049 से अतिक्रमी से काबिज है। पूर्व में धारा 91 आर.एल.आर एक्ट की कार्यवाही चली थी व जुर्माना भी अदा किया गया था। मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है।

गवाह पी.डब्ल्यु–1 ईन्दरसिंह ने अपने ब्यानों में विवादित भूमि अपने पिता नारायणसिंह के कब्जे काश्त की भूमि होना बताया। गवाह पी.डब्ल्यु–2 चतराराम ने भी अपने ब्यानों में नारायणसिंह का वक्त जागीर से काश्त होना बताया। गवाह पी.डब्ल्यु–3 मोहन ने भी अपने ब्यानों में नारायणसिंह का वक्त जागीर से कब्जा होना बताया। .

मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 21.9.2002 को ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट. व ख0सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट. का मौतबिरान के रूबरू मौका निरीक्षण किया। विवादित स्थल बारानी तृतीय भूमि है, इसमें केवल एक फसल खरीफ की होती है, जो वादी नारायणसिंह पुत्र बाघसिंह राजपूत सा0 कागमाला द्वारा विवादित आराजी पर 40–50 वर्ष का कब्जा वादी के द्वारा बताया गया।

वादी ने वक्त जागीर (प्रथम सेटलमेन्ट) की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है तथा चालु वर्ष की भी जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। मौका कमिश्नर द्वारा मौके की स्पष्ट स्थिति वादी के कब्जा काश्त संबंधी मौका फर्द में अंकित नहीं की है। वादी नारायणसिंह स्वयं ने अपने ब्यानों में संवत 2048 में ख0सं0 458 पर तथा संवत 2049 में ख0सं0 455 पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा होना स्वीकार किया गया है। मौका फर्द में नारणा पुत्र जेता हाली होना व विवादित आराजी में रहवास व पक्का कुआ बंधा हुआ होने का उल्लेख किया है परन्तु नारणा को वादी ने गवाह में प्रस्तुत नहीं किया है तथा विद्युत बिल गणेशकंवर पत्नि नारायणसिंह के नाम के प्रस्तुत किये है। जबकि विवादित आराजी में पक्का बेरा बंधा हुआ होना बताया है। जो उक्त विवादित आराजी में पक्का बेरा से संबंधित बिल नहीं होना सिद्ध होता है। मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 21.9.2002 को ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट. व ख0सं0 458 रकबा 8. 32 हेक्ट. मौका फर्द में विवादित स्थल बारानी तृतीय भूमि है, इसमें केवल एक फसल खरीफ की होती है। उक्त स्थिति में भी मौके पर ख0सं0 458 में पक्का कुआ बंधा हुआ नहीं होना सिद्ध करता है।

प्रतिवादी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं. 31/2012 में फहरिश्त दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये गये है। जमाबंदी संवत 2068–2071 खाता सं0 1 में ख0सं0 458 रकबा 7.04 हेक्ट0 किस्म बारानी सोयम में से नवीन ख0सं0 537/458 रकबा 4.80 हेक्ट0 किस्म गै.मु. देवनारायण आवासीय विद्यालय जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग जालोर को आवंटन करने का अंकन किया हुआ है। इस प्रकार ख0सं0 458 रकबा 7.04 हेक्ट0 में से 4.80 हेक्ट. कम करने पर रकबा 2.24 हेक्ट.शेष रहती है। जिसका नक्शा ट्रेस में भी लाल स्याही से अंकित हुआ है। यदि वादी का कब्जा काश्त मौके पर बाप दादो के समय का होता तो उक्त आवंटन आदेश सक्षम न्यायालय में चुनोति देता बल्कि ख.सं. 458 का रकबा 2.24 हेक्ट. को ही वादी द्वारा मानने से इस तनकी सं. 1 में उक्त रकबा दर्शित किया है। वादी द्वारा खसरा परिवर्तनशील की नकले/फोटो प्रतियां पेश की गयी है तथा अतिक्रमण का प्रकरण धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में दर्ज होकर जुर्माना आरोपित किया तथा बेदखली के आदेश दिये एवं कब्जे से बेदखल करने की मौका फर्द की प्रतिया प्रस्तुत की।

विवादित खेत ख.सं. 458 के पश्चिमी माठ पर कुआ व विद्युत कनेक्शन होना दर्शाया है व विद्युत विभाग के बिलों की फोटो प्रतियां पेश की है, जो गणेशकंवर पत्नि नारायणसिंह के नाम की वर्ष 2011 की है। वादी द्वारा व मौका कमिश्नर द्वारा ख.सं. 458 के पश्चिमी माठ पर बेरा खुदा हुआ व विद्युत कनेक्शन होना दर्शाया है, वह ख0सं0 458 के पश्चिम में ख0सं0 449 रकबा 2.50 हेक्ट. बारानी सोयम आया हुआ होने से उक्त बेरा व विद्युत कनेक्शन गणेशकंवर पत्नि नारायणसिंह में आना जाहिर है। गणेशकंवर पत्नि नारायणसिंह ने ख.सं. 449 रकबा 2.50 हेक्ट. में से अपना हिस्सा ईश्वरसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राव व वचनाराम पुत्र करताजी कौम घांची 1/2 सा0 भीनमाल के नाम ना0क0 सं0 287 दिनांक 5.3.2011 से जमाबन्दी संवत 2065–67 में लाल स्याही से अंकित है तथा संवत 2068–2071 की जमाबन्दी में खाता सं0 66 में उक्त इन्द्राज दर्ज है। उक्त आराजी के लगते ख0सं0 458 व 455 की आराजी सिवाय चक होने से नारायणसिंह वादी का बडेरों से कब्जा बताकर ख0सं0 449 के 1/2 के खातेदार ईश्वरसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राव व वचनाराम पुत्र करताजी कौम घांची 1/2 सा0 भीनमाल को आम मुख्तयार बनाकर राजकीय भूमि खातेदारी हक की घोषणा करवाने की कार्यवाही [illegible] है। जब उक्त विवादित आराजी का नारायणसिंह को कोई कानूनी मालिकाना हक नहीं होते हुए आम मुख्तयारनामा ईश्वरसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राव व वचनाराम पुत्र करताजी कौम घांची सा0 भीनमाल के पक्ष में निष्पादित करने का कोई हक नारायणसिंह को नहीं है। अतः आम मुख्तयारनामा तहसीलदार रानीवाडा के जवाब अनुसार कानूनीया निरर्थक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा फहरिश्त दस्तावेज के अनुसार मु0सं0 10/12 पटवारी कालाराम बनाम हिरालाल सोनी अध्यक्ष गौशाला भीनमाल के विरूद्ध दि0 2.4.12 को दर्ज हुआ तथा दि0 10.4.12 को बेदखली का आदेश पारित किया। हीरालाल स्वयं ने ख0सं0 458 रकबा 0.20 हेक्ट. पर अतिक्रमण करना अपने ब्यानों में बताया तथा दिनांक 10.4.12 को इस अतिक्रमी को बेदखल कर भूमि राज ली गयी। जिसकी फर्द पेश हो चुकी है। मु0सं0 9/12 पटवारी कागमाला बनाम भारता पुत्र सवा भील सा0 चाण्डपुरा, मु0सं0 14/12 पटवारी कागमाला बनाम घेवा पुत्र रेखा भील सा0 खाण्डादेवल के दि0 2.4.12 दर्ज किये जाकर दिनांक 11.4.12 को निर्णित किये गये तथा दिनांक 12.4.12 को मौके से बेदखल कर फर्द तैयार की गयी, जो इस वाद में प्रस्तुत की हुई है। ख0सं0 458 का रकबा 8.32 हेक्ट0 वादी अपने वाद पत्र में दर्शाया था जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत चालू जमाबन्दी की फोटो प्रति एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत चालु जमाबन्दी की प्रति के अनुसार ख0सं0 458 का रकबा 7.04 हेक्ट. देवनारायण आवासीय विद्यालय को आवंटन से पूर्व था। इस प्रकार बिना चालू जमाबन्दी देखे अपने प्रार्थना पत्र में पहले का था, रकबा दर्शाया गया। उक्त ख0सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट. में से तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन आदेश सं./5530–31 दिनांक 9.1. 2001 के अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती के तहत भारता पुत्र सवा कौम भील सा0 कागमाला को 8 बीघा भूमि वर्ष 1973 में होने के तहत उक्त ख0सं0 में से 1.28 हेक्ट भूमि कम कर भारता के नाम ना0सं0 146 से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा जमाबन्दी संवत 2064–67 में खातेदार दर्ज कर नया ख0सं0 458/532 रकबा 1.28 हेक्ट. दर्ज किया गया। इस प्रकार मूल ख0सं0 458 के रकबा 8.32 हैक्ट. में से 1.28 हेक्ट. भूमि वर्ष 2002 में होने पर भी इससे संबंधित खातेदार को वादी ने अपने वाद में प्रतिवादी पक्ष में पक्षकार भारता पुत्र सवा कौम भील सा0 कागमाला को नहीं बनाया गया। जो एक आवश्यक पक्षकार होने पर भी वाद में नहीं बनाया गया। जो वादी ने भारी भूल की है। जो आवश्यक पक्षकार को संयोजित नहीं करने से आदेश 1 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधनों का उल्लंघन करने से कानूनीया वाद चलने योग्य नहीं है।

खसरा परिवर्तनशील संवत 2011–12 में ग्राम चाण्डपुरा के ख0सं0 458 रकबा 0.48 हेक्ट. में अरण्डी व 0.48 हेक्ट. में मूंगफली घेवा पुत्र रेखा भील सा0 खाण्डादेवल हाल चाण्डपुरा के नाम दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2068 में खं0सं0 458 रकबा 0.20 हेक्ट0 में मूंगफली, कब्जा 0.20 हेक्ट. में भारता पुत्र सवा कौम भील सा0 कागमाला अतिक्रमी व ख0सं0 458 के रकबा 0.50 हेक्ट. बाजरी, कब्जा 0.50 हेक्ट.में चुनाराम पुत्र वीराराम कौम भील सा0 कागमाला अतिक्रमी दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2069 में ख0सं0 458 के रकबा 0.20 हेक्ट. में कब्जा व बाड, भारता पुत्र सवा कोम भील सा0 देह अतिक्रमी (पश्चातवर्ती अतिक्रमण) व ख0सं0 458 रकबा 0.20 हेक्ट.में कब्जा छपरा हीरालाल सोनी अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गौशाला भीनमाल अतिक्रमी, खसरा परिवर्तनशील संवत 2065 ख0सं0 458 रकबा 1.00 हेक्ट. अरण्डी, 1.00 हेक्ट. कब्जा नारायणसिंह पुत्र वागसिंह कौम राजपूत सा0 कागमाला अतिक्रमी दर्ज हैं। जिसका वादी ने अपने वाद में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गवाह डी.डब्ल्यु. 1 नानगाराम के ब्यानों में वादी नारायणसिंह ने अपने ब्यानों में संवत 2048 में ख0सं0 458 पर तथा संवत 2049 में ख0सं0 455 पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा होना स्वीकार किया गया है। पूर्व में पुराना ख0सं0 187 रकबा 139 बीघा 6 विस्वा था। जिसकी गिरदावरी में वादी या वादी के पिता का नाम दर्ज नहीं था। संवत 2012–2015 में वचनसिंह वगैरा मकबुजा जागीरदार का नाम दर्ज था। उक्त अवधि में वादी का कब्जा नहीं होना सिद्ध करता है। उपर्युक्त स्थिति में वादी का विगत 18 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त व रहवास नहीं है, न ही कोई फसल बोई गयी है। इस संबंध में वादी द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य लगातार कब्जे काश्त के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किये गये। वादी को शहादत प्रस्तुत करने हेतु तनकीयात कायम करने के पश्चात दिनांक 18.1.18, 1.2.18, 22.3.18, 12.4.18, 26.4.18, 14.5.18, 21.5.18, 21.5.18 तक अंतिम अवसर शर्त के साथ दिया गया व दिनांक 19.6.18 को रूपये 100/– की कोस्ट पर वादी के वकील के निवेदन पर अवसर दिया गया। तत्पश्चात चुनाव कार्य के कारण पेशिया बदलती रही तथा दिनांक 22.1.19 को वादी शहादत पर्याप्त अवसर देने पर वादी के अधिवक्ता के घर शादी समारोह होने से दि0 31.1.19 रखी गयी, इस तारीख को वादी वकील ने कुछ समय से वादी सम्पर्क में नहीं होने से शहादत हेतु एक अवसर चाहा गया। जिस पर दिनांक 28.2.19 रखी गयी। दिनांक 28.2.19 से 30.7.19 तक चुनाव कार्य व राजकीय कार्य से बाहर होने व व्यस्त होने से बदली गयी। तत्पश्चात दिनांक 3.9.19 को शहादत पेश करने हेतु अंतिम अवसर वादी को दिया जाकर दि0 19.9.19 नियत की गयी। इस तारीख पर भी शहादत पेश नहीं करने पर वादी वकील के निवेदन पर रू0 200/– [illegible] दिया जाकर दिनांक 10.10.19 को तारीख नियत की गयी। दिनांक 10.10.19 को भी शहादत पेश करने हेतु अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया गया परन्तु उपरोक्तानुसार बार बार पर्याप्त अवसर शहादत पेश करने हेतु दिया जा चुका है। अब आगे अवसर दिया जाना न्याय संगत नहीं मानते हुए [illegible] की गयी। इस प्रकार वादी को पर्याप्त शहादत हेतु अवसर देने के बावजूद कोई नई शहादत प्रस्तुत करने में वादी असफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वादी अपना कब्जा काश्त वादग्रस्त आराजी पर लगातार होने के संबंध में इस तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है। वादी अभिलेखीय साक्ष्य से

अतिचारी होना सिद्ध होता है तथा अतिचारी को खातेदारी हक पाने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

तनकी संख्या 1 के विवेचनानुसार मौजा चाण्डपुरा में वादग्रस्त आराजी में प्रथम सेटलमेन्ट में प्रस्तुत अभिलेखीय देस्तावेज से वादी का कब्जा नहीं होना तथा वादी स्वयं ख0सं0 458 में कब्जा गिरदावरी संवत 2048 के अनुसार व ख0सं0 455 में गिरदावरी संवत 2049 में कब्जा होना स्वीकार किया गया है। उक्त अवधि में वादी के विरूद्ध धारा 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखल किया जाना अपने जवाब में व्यक्त किया गया है तथा विगत 18 वर्षो में वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं होना व्यक्त किया गया। वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा होने के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादी का कब्जा राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व का कब्जा होना वादी सिद्ध करने में असफल रहा है। अभिलेखीय साख्य से वादी अतिचारी होना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 भी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

तनकी संख्या 1 में उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रष्नगत आराजी ख0सं0 458 के पष्चिमी माठ से खेत के अन्दर वादी की ढाणी, पुराना छपरा बना हुआ होने एवं उसमें नारणा पुत्र जेता निवासी पंसेरी अभी भी निवास करने एवं इसी ढाणी के लगता नारणा का पक्का बेरा बंधा हुआ तथा पम्पिंग सेट लगा हुआ मौका फर्द दिनांक 15.2.1993 में दर्शित होने से वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारों के संबंध में वादी ने वक्त जागीर (प्रथम सेटलमेन्ट) की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है तथा चालु वर्ष की भी जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। मौका कमिश्नर द्वारा मौके की स्पष्ट स्थिति वादी के कब्जा काश्त संबंधी मौका फर्द में अंकित नहीं की है। वादी का ख0सं0 458 के पश्चिमी माठ पर पक्का बेरा व रहवास हाली नारणा का बताया है परन्तु मौका फर्द में मौका स्थिति का नजरी नक्शा तैयार कर उसमें उक्त स्थिति नहीं दशाई है। वादी नारायणसिंह स्वयं ने अपने ब्यानों में संवत 2048 में ख0सं0 458 पर तथा संवत 2049 में ख0सं0 455 पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा होना स्वीकार किया गया है। मौका फर्द में नारणा पुत्र जेता हाली होना व विवादित आराजी में रहवास व पक्का कुआ बंधा हुआ होने का उल्लेख किया है परन्तु नारणा को वादी ने गवाह में प्रस्तुत नहीं किया है तथा विद्युत बिल गणेशकंवर पत्नि नारायणसिंह के नाम के प्रस्तुत किये है। जबकि विवादित आराजी में पक्का बेरा बंधा हुआ होना बताया है। जो उक्त विवादित आराजी में पक्का बेरा से संबंधित बिल नहीं होना सिद्ध होता है। मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 21.9.2002 को ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट. व ख0सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट. मौका फर्द में विवादित स्थल बारानी तृतीय भूमि है, इसमें केवल एक फसल खरीफ की होती है। वादी ने मूल वाद ख0सं0 458 रकबा 8.32 हेक्ट0 का प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावा प्रस्तुत करने के पूर्व रकबा 1.28 हेक्ट0 आराजी भारता पुत्र सवा कौम भील सा0 कागमाला को आवंटित होने से दुरूस्ती का इन्द्राज किया हुआ है। जिनको वाद में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इसके अलावा वादी द्वारा संशोधित वाद प्रस्तुत किया गये में ख0सं0 458 रकबा 4.80 हेक्ट0 देवानारायण आवासीय विद्यालय को भूमि करने का उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि भी उक्त खसरा में से किस स्थान से कम की गयी है। कोई ऐसा नजरी नक्शा प्रस्तुत कर शेष 2.24 हेक्ट. के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने हेतु कोई औचित्य व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के आदेश सं. एफ.12(3)(3)/राजस्व/12/3498–3503 दिनांक 31.5.12 से देवनारायण आवासीय विद्यालय हेतु आवंटन किया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड में ना0क0 सं0 305 दिनांक 20.6.2012 से इन्द्राज किया गया तथा नक्शा लट्ठा में तरमीम करने का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल प्रस्तुत की गयी। जिससे उक्त खसरा नंबर की पश्चिम दिशा में पक्का बेरा व रहवास संबंधी मकान की स्थिति ही दर्शित नहीं है। उक्त भूमि में यदि वादी का कब्जा काश्त होता तो उक्त आदेश पर आपत्ति कर विधि अन्तर्गत कार्यवाही करता परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति व वादी की ओर से नजरी नक्शा मौके की स्थिति दर्शाते हुए पेश करता, वह भी प्रस्तुत नहीं की है तथा न ही वादी के मौके की स्थिति के संबंध में पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी शेष [illegible] स्थिति के संबंध में प्रस्तुत नहीं की। उक्त स्थिति में भी मौके पर ख0सं0 458 में पक्का कुआ [illegible] हुआ नहीं होना सिद्ध करता है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वादी इस तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में यह तनकी भी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 4

तनकी सं0 1 से 3 के विवेचनानुसार वादी राजकीय भूमि वाद में वर्णित में कब्जा काश्त जागीर के वक्त से साबित कराने में असफल होने एवं मौके पर वादी का वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं होने से

खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का हकदार नहीं है। विवादित भूमि पर तहसीलदार रानीवाडा के जवाब के अनुसार अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से उनके विरूद्ध भी धारा 91 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर बेदखल कर दिया गया है। मौके पर भूमि खाली है। ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5

तनकी संख्या 1 से 4 के उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा का”त प्रथम सेटलमेन्ट से नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवाय चक भूमि है, जो जमाबन्दी में खाता सं0 1 के कॉलम सं0 4 में 6 वर्ष या अधिक परती (जुताई हेतु) दर्ज है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब में व्यक्त किया है कि वादी का संवत 2048 से 2051 तक ही अतिक्रमण रहा है। जिसको विधिवत कार्यवाही कर बेदखल किया जा चुका है तथा विगत 18 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर संवत 2012, 2018, 2019, 2023 में अन्य खातेदारान का कब्जा काश्त रहा है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी से होती है। नारायणसिंह का कब्जा 57 वर्षो में से मात्र 4 वर्ष के दौरान ही अतिक्रमण रहा है। वादी का मौके पर कोई फसल नहीं है, न ही ट्यूबवेल एवं रहवास है। वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्य भ्रामक व आधारहीन है। वादी ने अपने कब्जे के आधार पर वाद लाया है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान सरकार की होने से वादी अतिक्रमण के आधार पर वाद लाने का अधिकारी नहीं है। वादी अतिक्रमी रहा है। जो राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रावधानों के तहत वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं होना सिद्ध होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 6

उपर्युक्त तनकी सं0 5 के विवेचन के अनुसार वादी का केवल 4 वर्षों के दौरान ही कब्जा रहना तथा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बेदखल करना साबित होता है। वादी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 7

उपर्युक्त तनकी सं0 5 से 6 के विवेचन के अनुसार विवादित आराजी पर वादी का मौके पर कब्जा काश्त राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से होना साबित नहीं होने से वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 8

उपर्युक्त तनकी सं0 5 से 7 के विवेचनानुसार वादी द्वारा पुराने खसरा नंबर 187 रकबा 139 बीघा का होना होना अपने वाद में दशार्या है, उसमें वादी का कब्जा काश्त किस जगह था। इस संबंध में वादी ने कोई नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी का विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा काश्त दर्शित नहीं होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 9

उपर्युक्त तनकी सं0 5 से 8 के विवेचनानुसार वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जे काश्त के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सबूत राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व का सिद्ध कराने में वादी असफल रहा है। वादी द्वारा धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जो प्रकरण सं0 31/12 पर दर्ज किया जाकर दोनों पक्षों को सुनकर तीनों स्तम्भ वादी के पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र दिनांक 24.9.12 को खारीज करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा आदिनांक कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में वादी स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध जारी की जाती है।

वादी को वादग्रस्त आराजी के मा[illegible] होते हुए आम मुख्तीयारनामा श्री ईश्वरसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राव व श्री वचनाराम पुत्र करताजी कौम घांचा सा0 भीनमाल के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में कार्यवाही करने के लिए अपने अधिकार प्रदत्त किये गये है। उक्त आम मुख्यतीयारनामा कानूनीया वैध नहीं होने से तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने जवाब में निरर्थक माना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर तनकी सं0 1 से 4 वादी के विरूद्ध निर्णित होने व तनकी सं0 5 से 9 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हुई है। वादी स्वयं अतिचारी है। वादी अतिचारी रहने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में नजीर''**स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुमानाराम 2004 आर.आर.डी. 110**'' में भी प्रतिपादित किया है कि अतिचारी खातेदारी अधिकारी की घोषणा का वाद नहीं ला सकता। अतः उक्तानुसार विवेचना के अनुसार वादी का वाद खारीज योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वादी द्वारा मौजा चाण्डपुरा के ख0सं0 458 रकबा 2.24 हेक्ट., ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट. कुल 5.57 हेक्ट. का वाद उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावे।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 18:09:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
नारायणसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राजपूत सा0 कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर आम मुख्तियार 1. ईशवरसिंह पुत्र बाघसिंह कौम राव सा0 भीनमाल 2. वचनाराम पुत्र करताजी कौम घांची सा0 भीनमाल		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत खातेदारी हकों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि01955

राजस्व वाद संख्या 20/2001

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री बस्तीमल खत्री उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तनकीवार विवेचन के आधार पर तनकी सं0 1 से 4 वादी के विरूद्ध निर्णित होने व तनकी सं0 5 से 9 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हुई है। वादी स्वयं अतिचारी है। वादी अतिचारी रहने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी द्वारा मौजा चाण्डपुरा के ख0सं0 458 रकबा 2.24 हेक्ट., ख0सं0 455 रकबा 3.33 हेक्ट. कुल 5.57 हेक्ट. का वाद उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर खारीज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04.02.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.22 13:09:00 IST
Reason: SelfAttested